

PCPO's Sl.No.84/2019

No. E/171/O/ECR/HJP

Dated:- 16.05.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : लाइसेंसधारी सहायकों(पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों)को चिकित्सा सुविधाएं।

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.2018/ एच-1/2/9/ लाइसेंसड पोर्टर


Dated: 09.03.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.





(सौरभ सावर्णी)

वकाधि/ ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.); पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।



PCPO's SI.No.84/2019

No. E/171/O/ECR/HJP

Dated:- 16.05.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण /पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : लाइसेंसधारी सहायकों(पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों)को चिकित्सा सुविधाएं।

संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.2018/ एच-1/2/9/ लाइसेंसड पोर्टर


Dated: 09.03.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.



(सौरभ सावर्णी)

वकाधि/ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

प्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, हजरीपुर

03 APR 2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

रेलवे बोर्ड का पत्र प्रारित सं० 02

सं.2018/एच-1/2/9/लाइसेंसड पोर्टर


नई दिल्ली, दिनांक: 09.03.2019

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), पटियाला.



067098

09 APR 2019

विषय: लाइसेंसधारी सहायकों (पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों) की चिकित्सा सुविधाएं।

संदर्भ: (1) आईआरएमएम-2000 का पैरा 618

(2) बोर्ड के दिनांक 26.08.69 व 03.03.76 के पत्र सं.69/टीजी-11/1010/29/एसजी/आर-42 व 43

(3) बोर्ड का दिनांक 21.10.1971 का पत्र सं.टीसी-11/1010/24

(4) बोर्ड का दिनांक 28.05.1973 का पत्र सं.66/एच(एफपी)/6/74 पार्ट-11

(5) बोर्ड का दिनांक 01.10.1973 का पत्र सं.73/एच/6-1/24

(6) बोर्ड का दिनांक 21.06.1995 का पत्र सं.95/एच/6-1/17

लाइसेंसधारी सहायकों (पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों) को कतिपय सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समय-समय पर प्रावधान किए गए हैं। बहरहाल, लाइसेंसधारी सहायकों और उनके परिवार के सदस्यों को पास नियमों में यथा परिभाषित रेल सेवकों और उनके परिवारों के समान व्यापक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का मामला कुछ समय से रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कर रहा है।

इस मामले की रेल मंत्रालय में वित्त निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है।

अब, समय-समय पर जारी किए गए पिछले सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि:-

(क) लाइसेंसधारी सहायकों और उनके परिवार के सदस्यों को उन रेलवे अस्पतालों/रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में रेलवे चिकित्सा नियमों में यथा परिभाषित रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के समान चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी, जहां लाइसेंसधारी सेवक इस समय कार्य कर रहा है और इसमें अन्य रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/रेलवे अस्पताल को किए गए रेफरल शामिल हैं परन्तु रेलवे के साथ पैनलबद्ध निजी अस्पताल शामिल नहीं हैं। बहरहाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंजीकृत लाइसेंसधारी सहायकों को रेलवे अस्पतालों/रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी और रेलवे द्वारा उनके बिल आयुष्मान विभाग (राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी) को डेबिट किए जाएंगे। लाइसेंसधारी सहायकों, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंजीकृत नहीं हैं, को उक्त उल्लिखित के अनुसार स्वास्थ्य लाभ मिलते रहेंगे।

(ख) आईआरएमएम-2000 के पैरा 601 एवं 618 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सहित विस्तृत तौर-तरीके और दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मुकाधि प्रशा

मुकाधि/आईआर

उप मुकाधि/राज

उप मुकाधि/मा

उप मुकाधि/आईआर

उप मुकाधि/आईआर

उप मुकाधि/आईआर

उप मुकाधि/आईआर

उप मुकाधि/आईआर

R Sridhar

(अ. के. श्रीधर)

कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (जी)

रेलवे बोर्ड

PGMD

PCPO

PFA

ADD DRMs

(ख)

प्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय  
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

03-APR-2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 02

सं.2018/एच-1/2/9/लाइसेंसड पोर्टर

नई दिल्ली, दिनांक: 09.03.2019

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), पटियाला.



067098

09 APR 2019

विषय: लाइसेंसधारी सहायकों (पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों) की चिकित्सा सुविधाएं।

- संदर्भ: (1) आईआरएमएम-2000 का पैरा 618  
(2) बोर्ड के दिनांक 26.08.69 व 03.03.76 के पत्र सं.69/टीजी-1/1010/29/एसजी/आर-42 व 43  
(3) बोर्ड का दिनांक 21.10.1971 का पत्र सं.टीसी-1/1010/24  
(4) बोर्ड का दिनांक 28.05.1973 का पत्र सं.66/एच(एफपी)/6/74 पार्ट-1।  
(5) बोर्ड का दिनांक 01.10.1973 का पत्र सं.73/एच/6-1/24  
(6) बोर्ड का दिनांक 21.06.1995 का पत्र सं.95/एच/6-1/17

लाइसेंसधारी सहायकों (पूर्ववर्ती लाइसेंसधारी कुलियों) को कतिपय सीमा तक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समय-समय पर प्रावधान किए गए हैं। बहरहाल, लाइसेंसधारी सहायकों और उनके परिवार के सदस्यों को पास नियमों में यथा परिभाषित रेल सेवकों और उनके परिवारों के समान व्यापक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का मामला कुछ समय से रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कर रहा है।

इस मामले की रेल मंत्रालय में वित्त निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है।

अब, समय-समय पर जारी किए गए पिछले सभी अनुदेशों के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि:-

- (क) लाइसेंसधारी सहायकों और उनके परिवार के सदस्यों को उन रेलवे अस्पतालों/रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में रेलवे चिकित्सा नियमों में यथा परिभाषित रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के समान चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी, जहां लाइसेंसधारी सेवक इस समय कार्य कर रहा है और इसमें अन्य रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/रेलवे अस्पताल को किए गए रेफरल शामिल हैं परन्तु रेलवे के साथ पैनलबद्ध निजी अस्पताल शामिल नहीं हैं। बहरहाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंजीकृत लाइसेंसधारी सहायकों को रेलवे अस्पतालों/रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों में चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी और रेलवे द्वारा उनके बिल आयुष्मान विभाग (राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी) को डेबिट किए जाएंगे। लाइसेंसधारी सहायकों, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ पंजीकृत नहीं हैं, को उक्त उल्लिखित के अनुसार स्वास्थ्य लाभ मिलते रहेंगे।

- (ख) आईआरएमएम-2000 के पैरा 601 एवं 618 की अग्रिम शुद्धि पर्वी सहित विस्तृत तौर-तरीके और दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मुकाधि प्रशा  
मुकाधि/आईआर  
उप मुकाधि/राज  
उप मुकाधि/रा  
उप मुकाधि/आईआर  
मुकाधि  
विधि अधिकारी

K. Sridhar  
(डॉ. के. श्रीधर)  
कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (जी)  
रेलवे बोर्ड

PCMO  
PCPO  
PFA  
Add DRM

(ख)